DB Power Limited
Business Office : Village - Badadarha, Post - Kanwali, Dist - Janjgir - Champa, Chhattisgarh, PIN - 495 695
Tel. : +91-7389912699

क्रमांक / डी.बी.पा.लि. / Liasion / 22–10 दिनांक :– 22 / 10 / 2019

प्रति,

वनमंडलाधिकारी महोदय,
जांजगीर–चांपा वनमण्डल,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Extension of Boundary for Power situated at Village Badadarha, area – 4.88 – regarding.**
Proposal No. – FP/CG/IND/40088/2019

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / तक.अधि. / 6807 चांपा, दिनांक 21.10.2019।

–0000–

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत **Extension of Boundary for Power situated at Village Badadarha** के प्रेषित प्रकरण में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा बिन्दुवार 01 से 14 तक पाई गई कमियों का निराकरण टीप सुसंगत अभिलेखो सहित निम्नानुसार है :–

क्रमांक I	प्रस्ताव परीक्षण उपरांत ऑन लाईन कमियां	ऑन लाईन कमियो के निराकरण पर टीप
01	अतिरिक्त जानकारी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिर्पोट एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी द्वारा अपलोड नहीं किया गया है।	यह वनमंडलाधिकारी जांजगीर–चांपा कार्यालय से संबंधित है।
02	फार्म A पार्ट II के कालम नं.–16 में (Specific recommendation of the DFO) अपलोड नहीं किया गया है ।	यह वनमंडलाधिकारी जांजगीर–चांपा कार्यालय से संबंधित है।
03	फार्म A पार्ट II के बिन्दु क्रमांक नं. 13 (1) क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण हेतु क्षेत्रफल 12.33 हे. (खसरा नं. 1123 / 1) अपलोड है परन्तु उसी कालम में Present owener file अपलोड फाईल में कलेक्टर कार्यालय द्वारा 10.00 हे. राजस्व वन भुमि का उल्लेख है।	राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1123 / 1 कुल रकबा 15.560 हे. का राजस्व विभाग, वन विभाग, ग्रामवासियो एवं आवेदक संस्था के प्रतिनिधियो के साथ मौका निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात डी.जी.पी. एस. सर्वे रिर्पोट में अतिक्रमण रहित 12.330 हे. राजस्व वन भूमि का सीमांकन कर सर्वे रिर्पोट प्रस्तुत किया गया। जिसमें से प्रकरण में व्यपवर्तित होने वाली 4.880 हे. राजस्व वन भूमि के एवज में वन मण्डल धरमजयगढ़ द्वारा कुल रकबा 10.000 हे भूमि पर वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ के पत्रानुसार कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपरांत खसरा नं. 1123 / 1 कुल रकबा 10.000 हे भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
क्रमांक II	**प्रस्ताव परीक्षण उपरांत प्रस्ताव लाईन कमियां**	**प्रस्ताव में कमियो के निराकरण पर टीप**
01	प्रस्ताव मे आवेदन विभाग के मांग पत्र के स्थान पर भाग –2 को ही संलग्न किया गया है जिसके स्थान पर आवेदक विभाग का मांग	प्रस्ताव मे आवेदन विभाग का मांग पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 01 से 03 में संलग्न है ।

	पत्र संलग्न किया है ।	
02	प्रस्ताव के बिन्दु कमांक 2 प्रपत्र –1 में पंजीयन प्रसंस्करण शुल्क की राशि कोषालय में जमा करने का कमांक अंकित नहीं है।	यह वनमंडलाधिकारी जांजगीर चांपा कार्यालय से संबंधित है।
03	बिन्दु कमांक –4 में उल्लेखित ग्रमों की खसरावार निजी भूमि/शासकीय भूमि का विवरण संलग्न नहीं है तथा नामांतरण संबधित अभिलेख नहीं है ।	संस्थान को 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु उल्लेखित ग्रामो में छ.ग. शासन के द्वारा भू अर्जन एवं भू आबंटन के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई है जिसके अभिलेख संलग्न है।
04	बिन्दु कमांक –5 के संदर्भ में सर्वे ऑफ इडिया की शीट 64 0–1 में प्रस्तावित क्षेत्र चिन्हांकित नही है और ना ही शीट में इंण्डेक्स दिया गया है ।	बिन्दु कमांक –5 के संदर्भ में सर्वे ऑफ इडिया की शीट 64 0–1 में प्रस्तावित क्षेत्र को चिन्हांकित कर शीट में इंण्डेक्स कर पत्र प्रस्ताव के पृष्ट कमांक 13 में संलग्न किया गया है।
05	बिन्दु कमांक –6 के संदर्भ में वन प्रबंधक सूचना मंडल कार्यालय से जारी मैप पृष्ठ कमांक 17 में 3 टुकड़ों में प्रस्तावित स्थल का डी.जी.पी.एस. क्षेत्र प्रदर्शित है खसरा प्रदर्शित नहीं होने के कारण वांछित खसरों की पुष्टि नहीं हो पा रहीं है।	बिन्दु कमांक –6 के संदर्भ में वन प्रबंधक सूचना मंडल कार्यालय से जारी मैप पृष्ठ कमांक 17 में 3 टुकड़ों में प्रस्तावित स्थल का डी.जी.पी.एस. क्षेत्र प्रदर्शित है चूंकि डी.जी.पी.एस. सर्वे के के.एम.एल. फाईल को वन प्रबंधक सूचना मंडल रायपुर प्रेषित कर वन आवरण मानचित्र प्राप्त किया जाता है जिससे खसरा वांछित खसरों की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।
06	बिन्दु कमांक –7 के संदर्भ में प्रपत्र 4–पृष्ठ कमांक 21 एवं पृष्ठ कमांक –2 में दर्शित कास्ट प्रोजेक्ट भिन्न है।	बिन्दु कमांक –7 के संदर्भ में प्रपत्र 4–पृष्ठ कमांक 21 एवं पृष्ठ कमांक –2 में दर्शित कास्ट प्रोजेक्ट अनुपूरक है क्योकि कम्पनी के द्वारा दिनॉक 07.01.2008 को राज्य शासन से किए गए एम.ओ.यू. के अनुसार परियोजना की कुल लागत 5200 करोड़ रुपये है। एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुसार परियोजना की लागत रु. 6664.48 करोड़ है।
07	बिन्दु कमांक –12 के संदर्भ में आवेदित स्थल का निरीक्षण परिक्षेत्र सहायक द्वारा किया गया है वन विभाग में प्रचलित नक्शों में राजस्व वन भूमि मार्क नहीं है तो परिक्षेत्र सहायक द्वारा किस आधर पर पुष्टि किया गया है खसरा सही है ।	बिन्दु कमांक –12 के संदर्भ में आवेदित स्थल का निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग, ग्राम पंचायत एवं संस्थान के अधिकारियो की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया है जिसका डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट पृथक से संलग्न किया गया है एवं वनमंडलाधिकारी जांजगीर चांपा के द्वारा स्वयं की उपस्थिति में जी.पी.एस के माध्यम से मिलान का कार्य करावाया गया है।
08	बिन्दु कमांक 14–कें संदर्भ में संलग्न मानचित्र पृष्ठ कमांक 66 एफ एवं पृष्ठ कमांक 19 (ए) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मानचित्र भिन्न है। पृष्ठ कमांक 63 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 हे. राजस्व वन भूमि प्रस्तावित की गई है जबकी डी.जी.पी.एस. रिर्पोट में 12.33 हे. दर्शित है जो अनूपुरक है ।	बिन्दु कमांक 14–कें संदर्भ में संलग्न मानचित्र पृष्ठ कमांक 66 एफ एवं पृष्ठ कमांक 19 एफ में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मानचित्र भिन्न है। क्योकि पृष्ठ कमांक 66 एफ में आवेदित कुल रकबा 15.560 हे का राजस्व विभाग का टुकड़ा नक्शा संलग्न है एवं पृष्ठ कमांक 19 (ए) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.330 हे. क्षेत्र दर्शित किया गया है। ——— पृष्ठ कमांक 63 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10.000 हे. राजस्व वन भूमि प्रस्तावित की गई है जबकी डी.जी.पी.एस. रिर्पोट में 12.330 हे. दर्शित है जो अनूपुरक है – के संबंध में जानकारी बिन्दू कमांक 03 में उपलब्ध कराई गई है।
09	बिन्दु कमांक–16 कें संदर्भ में संलग्न पृष्ठ कमांक 85, 86 (ए) एवं पृष्ठ कमांक 19 (ए) आपस में भिन्न हैं। पृष्ठ–86 (ए) में संलग्न गूगल मानचित्र में सघन घनत्व प्रतीत हो रहा है ।	बिन्दु कमांक–16 कें संदर्भ में संलग्न पृष्ठ कमांक 85, 86 (ए) एवं पृष्ठ कमांक 19 (ए) आपस में भिन्न हैं। क्योकि पृष्ठ कमांक 85, 86 (ए) में केवल चयनित रकबा 12.330 हे को वन सन्निधि नक्शा एवं राजस्व नक्शा में क्षेत्र को दर्शित किया गया है। पृष्ठ कमांक 19 (ए) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.330 हे. क्षेत्र दर्शित किया गया है। पृष्ठ–86 (ए) में संलग्न गूगल

DB Power Limited
Business Office : Village - Badadarha, Post - Kanwali, Dist - Janjgir - Champa, Chhattisgarh, PIN - 495 695
Tel. : +91-7389912699

		मानचित्र में सघन घनत्व प्रतीत हो रहा है के संबंध में वन अधिकारी के निरीक्षण अनुसार चयनित क्षेत्र राजस्व वन भूमि है प्रस्तावित राजस्व वन भूमि में मिश्रत प्रजाति की झाड़ियां एवं विरल वन है तथा क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 तक है मिटटी सेण्डीलोम एवं बलवी किस्म की है जो वृक्षारोपण एवं वन विकास हेतु उपयुक्त है।
10	बिन्दु कमांक –17 कें संदर्भ में वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया गया है जिसे वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा अनुशंसा किया गया है स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र में खसरो का विवरण नही है और ना ही प्रकरण का उल्लेख है सांथ ही दिनांक का भी उल्लेख नही है। वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण वनमंडलाधिकारी का ही मान्य किया जाता है	बिन्दु कमांक –17 के संदर्भ में वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग, ग्राम पंचायत एवं संस्थान के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है एवं चयनित क्षेत्र को अतिक्रमण रहित, वृक्षारोपण एवं वन विकास हेतु उपयुक्तता के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत किया गया है जिसे वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा अनुशंसा किया गया है स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र में खसरो का विवरण, प्रकरण का उल्लेख एवं दिनांक के संबंध में वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र पृष्ठ कमांक संलग्न 88 (ए) में संलग्न कर दिया गया है।
11	बिन्दु कमाक–26 में वनमंडलाधिकारी का नाम दर्ज नही है। वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र के आस–पास निजी एवं शासकीय भूमि को छत्तीसगढ़ शासनद्वारा भू–अर्जन का आवेदक को प्रदाय किया गया है किन्तु अभिलेख संलग्न नही है।	बिन्दु कमाक–26 यह वनमंडलाधिकारी जांजगीर चांपा कार्यालय से संबंधित है।
12	परियोजना में आवेदित क्षेत्र के आस–पास का सन्निधि मानचित्र संलग्न नही है एवं शुध्द प्रत्याशा मूल्य का गणना पत्रक भी संलग्न नही किया गया है ।	परियोजना में आवेदित क्षेत्र के आस–पास का सन्निधि मानचित्र पृष्ठ कमांक 17 से 19 में संलग्न है एवं शुध्द प्रत्याशा मूल्य का गणना पत्रक भी पृष्ठ कमांक 125 ए में संलग्न कर दिया गया है ।
13	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक –10 अनूसार राजस्व वन का खसरा कमांक 779/1 का कुल रकबा 25.008 हे. में से आवेदित रकबा 4.88 हें. दर्ज है जबकि पृष्ठ कमांक 60 में इस खसरे का रकबा 10.931 में से आवेदित रकबा 5.00 हे. दर्ज है। जो एक दुसरे के समरूप नही है ।	राजस्व अभिलेखो के अनुसार खसरा कमांक 779/1 का कुल रकबा 25.008 हे. है जिसका खसरा पांचशाला पृष्ठ कमांक 67 से 68 में संलग्न है। पृष्ठ कमांक 60 में इस खसरे का रकबा 10.931 में से आवेदित रकबा 5.00 हे. दर्ज है क्योकि पूर्व में संस्थान के द्वारा 10.000 राजस्व वन भूमि की मांग की गई थी जिसमें अतिकमण होने के कारण एवं शासन की न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिकता को दृष्टिगत रखते हुये संस्थान के द्वारा केवल प्लांट की बाउन्डी के विस्तार हेतु रकबा 5.000 हे न्यूनतम एवं आवश्यक भूमि की मांग की गई है।
14	प्रस्ताव में कई पृष्ठों में कमांक अंकित नही है अतः चेक लिस्ट असुसार सही कमांक अंकित किया जाये।	प्रस्ताव में पृष्ठों में कमांक अंकित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओ की पूर्ति/निराकरण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी
(डी.बी.पावर लिमिटेड)
ग्राम–बाड़ादरहा, तहसील डभरा
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग)